

C.B.S. 21 Haryana

3

Annex-8

NOC from Haryana Govt.

कांचनिका निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 23/343-2000 वि०-1131 दिनांक, चण्डीगढ़ : 30-8-2000

तुलसी पब्लिक स्कूल, हिसार रोड अम्बाला शहर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10वीं स्तर की संबंधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो प्रावधान हैं वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

प्रशांत महापात्र
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

प्रकाश क्रमांक-सम- दिनांक चण्डीगढ़ : 31-8-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला को उनके यादी क्रमांक जी/2/2के/1993 दिनांक 28-8-2000 के संदर्भ में ।
2. प्राचार्य, तुलसी पब्लिक स्कूल, हिसार रोड, अम्बाला शहर ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार नई दिल्ली-110093

प्रशांत महापात्र
आदेश क्रमांक वि०-1 31/8/00
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।
31/8